भा.कृ.अनु.प.- भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली
ICAR- Indian Agricultural Research Institute, New Delhi
Telphone: 011-25841413 (Extn. 4226), E-mail: estatenprotol@iari.res.in

सं. 5–1/ई.पी.एस./विविध–2016

दिनांकः 25/.02/2025

अधिसूचना

विषयः भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आवसीय कल्याण समिति (जनक विहार, कृषि कुंज, ई. टाईप/डी–टाईप क्वाटर) के प्रधान के चुनाव करवाने हेतु

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में आवासीय कल्याण समिति के प्रधान का चुनाव होना निश्चित किया गया है। भा.कृ.अ.सं संस्थान में आवासीय कल्याण समिति के प्रधान के चुनाव हेतु विवरण इस प्रकार है:–

	प्रधान
ई.टाइप/डी टाईप क्वाटर	(01)
जनक विहार	(01)
कृषि कुंज	(01)

संस्थान आवासीय कल्याण समिति के चुनाव हेतु निर्धारित पात्रता इस प्रकार है:–
1.इस चुनाव में सभी स्थायी कर्मचारी जो अधिकृत आबंटी हो भाग लेने के पात्र होगें।
2.प्रधान पद के चुनाव में भाग लेने के लिए आवेदन पत्र संलग्न है।

अधोहस्ताक्षरी को चुनाव आयोजित करने के लिए रिटरनिंग अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

चुनाव की समय सारणी

	दिनांक	समय
1. नामांकन पत्र की प्राप्ति की अंतिम तारीख	: 05/03/2025	(15.00 बजे तक)
2. नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख	: 07/03/2025	(15.00 बजे तक)
3. वैद्य नामांकन पत्रों की धोषणा	: 11/03/2025	(15.00 बजे तक)
4. चुनाव की तारीख	: 22/03/2025	(प्रातः 8 बजे से 12 बजे तक)
5. मतगणना (अनुमानित)	: 22/03/2025	(अपराह्न 3 बजे से आगे तक)

नामांकन पत्र सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सम्पदा एवं नयाचार अनुभाग कमरा संख्या 12, निदेशालय, भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली से प्राप्त किए जा सकते है। साथ ही ये भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, चुनाव से संबंधित नियम शर्ते एवं आचार संहिता अनुलग्नक–1 में उल्लेखित है।

(पीयूष शुक्ला)
निर्वाचन अधिकारी एवं मु.प्रशा.अधि.
भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली

PIYUSH SHUKLA
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/Chief Administrative Officer
आनुवंशिकी संभाग/Division of Genetics
भा.कृ.अनु.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute,
नई दिल्ली/New Delhi-110012

वितरणः
1.सभी परियोजना निदेशक/परियोजना समन्वयक/संभागाध्यक्ष/वैज्ञानिक प्रभारी, भा.कृ.अ.सं., नई दिल्ली–12
2.निदेशक के निजी सचिव/संयुक्त निदेशक (अनुसंधान/डीन/प्रसार/प्रशासन)/निदेशक कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं अनुभाग
3. आई.जे.एस.सी. एवं आई जी.एस के सभी सदस्य
4. निदेशक कार्यालय का सूचना पट्ट
5. प्रभारी,ए.के.एम.यू. को इस अनुरोध के साथ भेजा जाता है कि इस अधिसूचना पत्र को कृपया संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित करवा दे।

संस्थान आवासीय कल्याण समिति चुनाव संबंधित नियम एवं शर्ते तथा आचार संहिता निम्नानुसार हैं

(क) चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकनः–

कर्मचारियों के मार्गदर्शन हेतु नीचे कुछ अनुदेश दिए गए है जिनका नामांकन पत्र आदि भरने के लिए सख्ती से पालन किया जाना अनिवार्य हैः–

1. नामांकन पत्र केवल निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक–2) में ही भरे जाने चाहिए।
2. उम्मीदवार को अपना नाम अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनो भाषाओं में बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए।
3. प्रत्येक नामांकन पत्र पर उम्मीदवार एवं प्रस्तावक के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा नामांकन पत्र उसी आवासीय क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा अधिप्रमाणित होना चाहिए। अधुरे नामांकन पत्रों को पूर्णतया निरस्त कर दिया जाएगा।
4. सभी प्रकार से पूर्ण नामांकन पत्र अधोहस्ताक्षरी अथवा संपदा एवं नयाचार के कमरा संख्या 12 निदेशालय को भेजे जाने चाहिए तथा उनकी प्राप्ति की रसीद लेनी चाहिए। जहां यह डाक/ईमैल से भेजे जाएं वहां अधोहस्ताक्षरी को नाम से ही संबोधित किया जाना चाहिए। निर्धारित पत्रों की पावती उम्मीदवार को डाक/ईमैल द्वारा भेजी जाएगी।
5. जो प्रतिभागी अपना नाम वापिस लेना चाहते है। निधारित तारीख एवं समय से पूर्व संपदा एवं न्याचार कक्ष संख्या 12 अथवा अघोहस्ताक्षरी को वापसी प्रपत्र जमा करेंगे।
6. नामांकन पत्रों की जांच निर्धारित तारीख एवं समय पर निर्वाचन अधिकारी अपने कार्यालय में करेगें जिसमें उम्मीदवार यदि चाहें तो 3.00 बजे तक उपस्थित रह सकतें है।
7. जांच के उपरान्त वैद्य नामांकन/आवंटित बैलेट संख्या के साथ वैद्य प्रत्याशियों की सूची आई.ए.आर.आई वेबसाइट, डिस्पेन्सरी एवं केन्द्रीय भंडार, कृषि कुंज केन्द्रीय भंडार/मदर डेरी पूसा कैम्पस एवं डी.एम.एस बूथ जनक विहार के सूचना पट पर पद्रर्शित की जाएगी एवं उसे परिचालित भी किया जाएगा।
8. चयनित प्रधान चयन होने की तिथि से दो वर्ष तक अथवा नये चुनाव होने तक प्रधान का कार्यभार संभालेंगे।
9. आवासीय कल्याण के चुनाव मे भाग लेने वाले उम्मीदवार का नामांकन तिथि से कम से कम 2 वर्ष का सेवाकाल शेष होना चाहिए।

(ख) नामांकन पत्रों की जांच/वापसीः–

1. नमांकन पत्र दाखिल करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के अगले दिन, इस प्रयोजन के लिए नामित अधिकारी द्वारा नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी।
2. जे नामांकन पत्र वैध नही होंगे उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
3. नामांकन पत्र को तब अमान्य माना जाएगा, जबः
   (क) नामांकित उम्मीदवार सदस्यता के लिए अयोग्य है।
   (ख) इसमें पहले उल्लिखित पैरा (क) की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया गया है।
4. जिस उम्मीदवार का नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, वह निर्धारित तिथि और समय के भीतर नामांकन पत्र की जांच के दौरान अनुलग्नक–।।। में उल्लिखित फॉर्म ख में अपना नामांकन वापस ले सकता है।
5. जांच /वापसी के बाद, वैध नामांकनों/अंतिम प्रत्याशियों की सूची संबंधित बैलट नंबर के साथ निदेशालय के सूचना पट्ट (नोटिस बोर्ड) पर प्रदर्शित की जाएगी और प्रसारित भी की जाएगी।

(ग) चुनाव में मतदानः–

1. यदि वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों की संख्या अवंटित सीटों के बराबर है, तो उन उम्मीदवारों को तत्काल निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।
2. यदि उम्मीदवारों की सख्या उपलब्ध सीटों से अधिक है, तो निर्धारित तिथि पर मतदान कराया जाएगा।
3. मतदान गुप्त मतपत्र (Secret Ballot) द्वारा होगा।
4. मतदान नामित अधिकारी द्वारा संपन्न कराया जाएगा।
5. प्रत्येक कर्मचारी, जो मतदान करने के लिए पात्र है, को अधिकतम 01 मत देने का अधिकार होगा, जिसे वह किसी एक उम्मीदवारो के पक्ष में डाल सकता है।

(घ) आचार संहिता :–

उम्मीदवारों और उनके समर्थकों से अपेक्षा की जाती है कि वे 22.03.2025 को होने आवसीय कल्याण समिति चुनाव के लिए निर्धारित निम्नलिखित आचार संहिता का पालन करेंगे।

1. निम्नलिखित कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित हैंः–
   (क) किसी भी तरह से सरकारी मशीनरी और स्टेशनरी का उपयोग।
   (ख) दीवारों और दरवाजों पर पोस्टर चिपकाना या प्रदर्शित करना।
   (ग) किसी भी प्रकार का बाहरी एवं राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना।
   (घ) गैलरी, कमरों तथा कार्यालय परिसर के अंदर या बाहर किसी उम्मीदवार के पक्ष या विरोध में नारेबाजी या शोरगुल करना।
   (ड़) चुनाव प्रयोजनों के लिए सरकारी वाहनों का उपयोग।
   (च) कार्यालय भवन परिसर में शराब पीना और उसका वितरण करना।
   (छ) मतदान केंन्द्र के दरवाजे के सबसे करीब मतदाताओं के साथ जाना।
2. यह अपेक्षित है किः–
   (क) अनुशासन और मर्यादा बनाए रखी जानी चाहिए।
   (ख) अभियान शांतिपूर्ण और उदाहरण प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए।
   (ग) उम्मीदवारों और उनके समर्थकों को चुनाव कार्य में सहयोग करना होगा।
   (घ) उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों को मतदान केन्द्र से निर्धारित दूरी का पालन करना होगा।
   (ड़)परिणाम घोषित होने तक उम्मीदवारों के सहयोग और उनके समर्थन से चुनाव शांतिपूर्ण ढग से चलना चाहिए।

पीयूष शुक्ला

(पीयूष शुक्ला)
निर्वाचन अधिकारी एवं मु.प्रशा.अधि.
भा.कृ.अ.सं. नई दिल्ली

पीयूष शुक्ला/PIYUSH SHUKLA
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/Chief Admn. Officer
आनुवंशिकी संभाग/Division of Genetics
भा.कृ.अनु.प.–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान
ICAR-Indian Agricultural Research Institute,
नई दिल्ली/New Delhi-110012

भा.कृ.अ.प–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली–110012

संस्थान आवासीय कल्याण समिति प्रधान के नामांकन पत्र का प्रारूप

1. मैं..कृषि कुंज/जनक विहार/ई एवं डी टाईप क्वाटर आवासीय कल्याण समिति के निम्मलिखित आबंटी को संस्थान आवासीय कल्याण समिति प्रधान के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में नामित करता/करती हूं।
2. उम्मीदवार उसी आवासीय परिसर में मतदान के लिए पात्र है जिसके लिए उसे नामित किया गया है।
3. उम्मीदवार आवासीय कल्याण समिति के प्रधान के रूप में आवासीय कल्याण समिति के लिए चुने जाने योग्य है।

(क) नामित व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में) श्री/श्रीमती/सुश्रीः ....
आवासीय पताः ....
पदनाम एवं संभाग/अनुभागः ....

(ख) प्रस्तावक के हस्ताक्षरः ....
प्रस्तावक का नाम/पदनामः श्री/श्रीमती/सुश्री ....
आवासीय पताः ....
संभाग/अनुभागः ....

मैं प्रस्तावित नामांकन से सहमत हूं।

दिनांकः .... उम्मीदवार के हस्ताक्षर ....
उम्मीदवार का नाम ....

सत्यापितः

1. आवास से संबंधित मतदाता के हस्ताक्षरः ....
मतदाता का नामः ....
पदनाम ....
आवासीय पता ....

2. आवास से संबंधित मतदाता के हस्ताक्षरः ....
मतदाता का नामः ....
पदनामः ....
आवासीय पता ....

नोटः

1. कृपया जो लागू न होने वाले शब्दों/अंशों को काट दें।
2. प्रस्तावक संबंधित निर्वाचक चुनाव (आवासीय परिसर का आबंटी) मतदाता होना चाहिए।
3. सत्यापन संबंधित निर्वाचक चुनाव (आवासीय परिसर का आबंटी) के दो मतदाताओं द्वारा किया जाना चाहिए।
4. एक ही व्यक्ति प्रस्तावक व सत्यापनकर्ता दोनों का नहीं होगा।
5. अधूरे अथवा अस्पष्ट नामांकन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
6. नामांकन पत्र के प्रारूप में गलत जानकारी के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भा.कृ.अ.प–भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली–110012

संस्थान आवासीय कल्याण समिति प्रधान के नामांकन पत्र वापस लेने का प्रारूप

मैं..(उम्मीदवार के रूप में) भा.कृ.अ.प.–भा.कृ.अ.सं, नई दिल्ली के संस्थान आवासीय कल्याण समिति प्रधान के रूप में अपना नामांकन वापस करता/करती हूं, जिसे प्रस्तावित किया गया था ....(प्रस्तावक का नाम) द्वारा और प्रमाणित किया गया था..(सत्यापनकर्ता का नाम) और प्रमाणित किया गया था .... (दूसरे सत्यापनकर्ता का नाम) द्वारा

दिनांक ....   उम्मीदवार के हस्ताक्षरः ....

उम्मीदवार का नाम/पदनाम (बड़े अक्षरों में): ....

संभाग/अनुभाग/ईकाईः ....

आवासीय पताः ....

सत्यापितः

1. आवास से संबंधित मतदाता के हस्ताक्षरः ....

   मतदाता का नामः ....

   पदनाम ....

   आवासीय पता ....

3. आवास से संबंधित मतदाता के हस्ताक्षरः ....

   मतदाता का नामः ....

   पदनामः ....

   आवासीय पता ....